राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 131वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 131वीं बैठक दिनांक 19/10/2022 को अपरान्ह 12:00 बजे श्री देवाशीष दास, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:-

1. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
2. श्री आर.पी. तिवारी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक-1 — **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 130वीं बैठक दिनांक 10/10/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 130वीं बैठक दिनांक 10/10/2022 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक-2 — **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 422वीं एवं 423वीं बैठक क्रमशः दिनांक 07/08/2022 एवं 08/08/2022 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स श्री बालाजी स्टोन इण्डस्ट्रीज (पार्टनर- श्री निकुंज पटेल, खैरवारी स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट), ग्राम-खैरवारी, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1929)**

ऑनलाईन आवेदन - एसआईए /सीजी /एमआईएन / 72155/ 2022, दिनांक 10/02/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 15/02/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 03/08/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-खैरवारी, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक

394, 398(पार्ट), 399, 404, 405 एवं 407, कुल क्षेत्रफल–3.4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–70,875 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निकुंज पटेल, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत बासीन का दिनांक 28/09/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसकी वैधता समाप्त होने वाली है। अतः फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक, दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **उत्खनन योजना** – माइनिंग प्लान एलीग विथ मॉडिफाईड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 425/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र. 08/2021(1) नया रायपुर, दिनांक 01/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/1016/ख.लि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 03/01/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 6.155 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/1016/ख.लि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 03/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. मेसर्स श्री बालाजी स्टोन इंडस्ट्रीज के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्र. 956/गै.खनिज/उ.प./2020 बलौदाबाजार, दिनांक 16/12/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री बालाजी स्टोन इण्डस्ट्रीज के नाम पर है, जिसमें श्री योगेश कुमार पटेल, श्री तरुण पटेल, श्री निकुंज पटेल एवं श्री जयन्ती भाई पटेल पार्टनर्स है। उत्खनन हेतु पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/ खनिज/ 2022/1618 बलौदाबाजार, दिनांक 07/06/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खैरवारी 1.02 कि.मी. स्कूल ग्राम–सुहेला 1.21 कि.मी. एवं अस्पताल सुहेला 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11 कि.मी. दूर है। तालाब 1 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 16,15,000 टन, माईनेबल रिजर्व 11,02,190 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 10,47,080 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,400 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 28,980 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15.76 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर एवं रॉक ब्रेकर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	76,875
द्वितीय	73,530
तृतीय	69,840
चतुर्थ	65,730
पंचम	61,567.5

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.272 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा रमेश पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/1056/ख.नि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 03/01/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 6.155 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–खैरवारी) का रकबा 3.4 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–खैरवारी) को मिलाकर कुल रकबा 9.555 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the Latest NOC of Gram Panchayat for Mining.

iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

viii. EIA study shall be at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टीओआर के शर्त में निम्न संशोधन किया गया कि 2 (i) "Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report." के स्थान पर 2 (i) "Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report." पढ़ा जाए।

साथ ही प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया–

i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for at least 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

ii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

2. **मेसर्स नरदहा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री अनुज बडवानी), ग्राम–नरदहा तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2014)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 76627 /2022, दिनांक 05/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नरदहा तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1949 एवं 1950, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–61,997 टन (24,798.8 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ओजस्व बडयानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1949 एवं 1950, कुल क्षेत्रफल – 2 हेक्टेयर, क्षमता – 62,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 28/02/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 28/02/2024 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 550 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/1389/ख.नि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 05/09/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018	12,870
2019	4,500
2020	1,500
2021	1,400
मार्च, 2022 तक	700

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत नरदहा का दिनांक 28/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – रिवाइज्ड क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (छ.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 636/खनि 02/मा.प्र.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(2) नया रायपुर, दिनांक 16/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 108/ख.नि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 12/04/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 173.797 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत अन्य 5 नवीन खदानों का कुल क्षेत्रफल 8.433 हेक्टेयर को एल.ओ.आई. जारी की गई है। इस प्रकार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 91 खदानें, क्षेत्रफल 182.23 हेक्टेयर हो रहा है। अतः फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संशोधित 500 मीटर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 108/ख.नि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 12/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री अनुज बडवानी के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/02/2018 से 19/02/2048 तक की अवधि हेतु किया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1949 श्री विजय कुमार एवं खसरा क्रमांक 1950 श्री हरेश कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नरदहा 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–नरदहा 1.65 कि.मी. एवं अस्पताल रायपुर 16.5 कि.मी. की दूरी पर

स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.9 कि.मी. दूर है। तालाब 1.3 कि.मी., मौसमी नाला 1 कि.मी. एवं नहर 1 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 12,08,125 टन, माईनेबल रिजर्व 5,97,282 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 5,85,336 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,022 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,726.5 घनमीटर है। ओवर बर्डन की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,726.5 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 1,072 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग तथा स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	61,663	षष्टम	61,387
द्वितीय	61,997	सप्तम	61,880
तृतीय	61,814	अष्टम	61,490
चतुर्थ	61,687	नवम	61,600
पंचम	61,689	दशम	29,731

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.46 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 804 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 550 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 254 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक मेसर्स महामाया मिनरल्स (एसआईए / सीजी / एमआईएन / 69981 / 2021) में आने वाली समस्त खदानों को क्लस्टर में शामिल करते हुए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 16 दिसम्बर, 2021 से 15 मार्च, 2022 के मध्य किया गया था। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उक्त क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का

उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त से जिससे समिति सहमत हुई।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 108/खनि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 12/04/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 86 खदानें, क्षेत्रफल 173.797 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत अन्य 5 नवीन खदानें का कुल क्षेत्रफल 8.453 हेक्टेयर को एल.ओ.आई. जारी की गई है। इस प्रकार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 91 खदानें, क्षेत्रफल 182.23 हेक्टेयर हो रहा है। आवेदित खदान (ग्राम–नरवहा) का रकबा 2 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–नरवहा) को मिलाकर कुल रकबा 184.23 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानें का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) कॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट कॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

iv. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

viii. EIA study shall be at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit the details of pollution control arrangement in crusher.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years.

Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

ii. Project proponent shall ensure to obtain prior Air & Water consent for crusher from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सहार्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

3. मेसर्स नरदहा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री प्रकाश बजाज), ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1863)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी/ एमआईएन/ 69993 / 2021, दिनांक 10/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 20/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/06/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नरदहा तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1972, 1980 एवं 1982, कुल क्षेत्रफल–2.744 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–53,046.88 टन (21,218.75 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रकाश बजाज, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1972, 1980 एवं 1982, कुल क्षेत्रफल – 2.744 हेक्टेयर, क्षमता – 65,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 26/02/2017 को जारी की गई। तत्पश्चात् जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 14/06/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 26/02/2017 से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 25/02/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 550 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 08/04/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	20,400
2018	34,835
2019	34,835
2020	12,000
2021	47,400

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2022 से आज तक स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत नरदहा का दिनांक 03/03/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि क्रशर की स्थापना के संबंध में भी ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक, दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान, इन्वाकलेमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (छ.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 4360/खनि 02/मा.प्र.अनुमोदन/न.क्र.04/2018(1) नया रायपुर, दिनांक 16/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 106/ख.नि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 05/04/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 86 खदानें, क्षेत्रफल 173.083 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत अन्य 5 नवीन खदानें का कुल क्षेत्रफल 8.433 हेक्टेयर को एल.ओ.आई. जारी की गई है। इस प्रकार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 91 खदानें, क्षेत्रफल 181.486 हेक्टेयर हो रहा है। अतः फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संशोधित 500 मीटर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 106/ख.नि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 05/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है। नाला 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री प्रकाश बजाज के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/05/2003 से 01/05/2013 अवधि हेतु वैध थी। लीज डीड का नवीनीकरण 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/05/2013 से 01/05/2023 तक की अवधि हेतु वैध है। तत्पश्चात् लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/05/2023 से 01/05/2033 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नरदहा 2.1 कि.मी., स्कूल ग्राम–नरदहा 2.2 कि.मी. एवं अस्पताल रायपुर 11.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4.1 कि.मी. दूर है। तालाब 1.25 कि.मी., मौसमी नाला 50 मीटर, नहर 3.1 कि.मी. एवं बांध 2.9 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनिज संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 12,67,287 टन, माईनेबल रिजर्व 5,36,422 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 5,20,329 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,784 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,481 घनमीटर है। बैच

की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 982 वर्गमीटर है। जैक हैमर एवं रॉक ब्रेकर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	53,046.88	षष्टम	51,652.5
द्वितीय	52,937.75	सप्तम	52,016.25
तृतीय	52,380	अष्टम	51,339.68
चतुर्थ	51,790.73	नवम	52,110.83
पंचम	51,310.58	दशम	51,744.65

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.84 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउन्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चट्टी में 1,356 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 550 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 806 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 6,784 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 2,736 वर्गमीटर क्षेत्र 18 मीटर की गहराई एवं 282 वर्ग मीटर क्षेत्र 12 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख मॉडिफाईड माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 507/ख. नि./तीन-6/उ.प./2021 रायपुर, दिनांक 11/08/2021 द्वारा श्री प्रकाश बजाज के पक्ष में स्वीकृत चूना पत्थर उत्खनिपट्टा क्षेत्र का स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन के संबंध में उनके विरुद्ध खनिज चूना पत्थर मात्रा लगभग 300 टन अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया जाकर रूपये 1,21,000/- अर्थदण्ड आरोपित कर राशि वसूल की गई है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक मेसर्स महामाया मिनरल्स (एमआईए /सीजी /एमआईएन / 69481/2021) में आने वाली समस्त खदानों को क्लस्टर में शामिल करते हुए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 दिसम्बर, 2021 से 15 मार्च, 2022 के मध्य किया गया था। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त से जिससे समिति सहमत हुई।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र चाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 106/ख.नि. /टीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 05/04/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 86 खदानें, क्षेत्रफल 173.053 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत अन्य 5 नवीन खदानें का कुल क्षेत्रफल 8.433 हेक्टेयर को एल.ओ.आई. जारी की गई है। इस प्रकार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 91 खदानें, क्षेत्रफल 181.486 हेक्टेयर हो रहा है। आवेदित खदान (ग्राम–नरवहा) का रकबा 2.744 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–नरवहा) को मिलाकर कुल रकबा 184.23 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit the Gram Panchayat NOC for crusher.

iv. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

v. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2022 to till date from mining department.

vi. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. EIA study shall be at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchrama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall undertake survey and study for conservation of pond, canal & other water bodies and submit an action plan along with the EIA Report.

xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xv. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xviii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit the details of pollution control arrangement in crusher.

xxi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

ii. Project proponent shall ensure to obtain prior Air & Water consent for crusher from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

4. **मेसर्स अछोली फर्शी पत्थर माईन (प्रो.– श्री खिलेश चन्द्राकर), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1850)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी/ एमआईएन/ 72711/ 2022, दिनांक 27/02/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 03/03/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/06/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 1170, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 10,056 टन (4,189.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमन चन्द्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोती का दिनांक 05/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 477/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019(1) नया रायपुर, दिनांक 03/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1015/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 04/08/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 29 खदानें, क्षेत्रफल 24.49 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 104/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 29/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण –** एल.ओ.आई. श्री रितेश चंद्राकर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1510/क/उ.प./ख.नि./न.क्र. 94/2020 महासमुंद, दिनांक 11/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1074/क/उ.प./ख.नि./न.क्र. 94/2020 महासमुंद, दिनांक 18/08/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व –** भूमि श्री रितेश्वर चन्द्राकर के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./462 महासमुंद, दिनांक 20/01/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अझोली 380 मीटर, स्कूल ग्राम–अझोली 650 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–तुमगांव 7.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.9 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 17.7 कि.मी. दूर है। मौसमी नाला 1 कि.मी., तालाब 1 कि.मी., नहर 280 मीटर एवं महानदी 2.2 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,44,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 76,896 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,050 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.3 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,085 घनमीटर है। ओवर बर्डन की मोटाई 2.7 मीटर है तथा कुल मात्रा 18,765 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। स्टोन कटर का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	7,762	षष्टम	6,809
द्वितीय	7,656	सप्तम	7,233
तृतीय	10,055	अष्टम	7,515
चतुर्थ	7,056	नवम	7,187
पंचम	6,526	दशम	7,549

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.92 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 609 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/03/2022 को प्रारंभ किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 28/02/2022 को सूचना भी दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा कल्लेंद चाम्पेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1015/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 04/08/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 29 खदानें, क्षेत्रफल 24.49 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अछोती) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अछोती) को मिलाकर कुल रकबा 25.49 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

iv. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

v. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

vi. EIA study shall be at minimum 8 no. of monitoring stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

viii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

ix. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and

Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

x. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xi. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

ii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of seasonal nallah & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area.

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

5. मेसर्स एम.आर. इंटरप्राईजेस (पार्टनर– श्री निर्माण अग्रवाल), प्लाट नं. 1ए, 1बी एवं 2आई, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2017)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 76840/2022, दिनांक 11/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए, 1बी एवं 2आई, कुल क्षेत्रफल – 2.42 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस.बिलेट्स) क्षमता – 38,640 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,33,000 टन प्रतिवर्ष, री–रोल्ड स्टील क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,49,000 टन प्रतिवर्ष (सू–हीट चार्जिंग क्षमता – 1,06,000 टन

प्रतिवर्ष एवं स्पू–रि–हीटिंग क्षमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष) एवं एम.एस. पाईप्स क्षमता – 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना की कुल विनियोग 30 करोड़ रुपये होगी।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनिल कुमार अग्रवाल, सी.ई.ओ. एवं मेसर्स एनाकॉन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री श्रीकांत बी. व्यावेयर, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक तथा श्री विकास ठाकुर, सलाहकार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण –**

   - एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2180, दिनांक 04/03/2021 द्वारा हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट न. 1ए एवं 1बी, कुल क्षेत्रफल – 3.023 हेक्टेयर में प्रथम चरण के अंतर्गत क्षमता विस्तार के तहत् री–हीटिंग फर्नेस बेस्ड ऑन पल्वराईज्ड कोल आधारित री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 21,000 टन प्रतिवर्ष से 57,800 टन प्रतिवर्ष तथा द्वितीय चरण उपरांत माईल्ड स्टील बिलेट क्षमता – 38,840 टन प्रतिवर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष (36,800 टन प्रतिवर्ष स्पू हीट चार्जिंग एवं 21,000 टन प्रतिवर्ष स्पू बिलेट्स री–हीटिंग फर्नेस बेस्ड ऑन पल्वराईज्ड कोल) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई। तत्पश्चात् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1285, दिनांक 21/09/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स एम.आर. इंटरप्राईजेस के नाम पर है। साथ ही पार्टनर्स यथा श्री निर्माण अग्रवाल एवं श्री तुषार अग्रवाल द्वारा पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस.बिलेट्स) क्षमता – 9,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 38,840 टन प्रतिवर्ष, री–रोल्ड स्टील क्षमता – 21,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 57,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु स्थापना सम्मति दिनांक 14/07/2021 को जारी की गई। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा री–रोल्ड स्टील क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु संचालन सम्मति दिनांक 06/12/2021 को जारी की गई, जिसकी वैधता क्षमता विस्तार के संचालन प्रारंभ माह के प्रथम दिवस से 1 वर्ष (First date of month of commissioning of the plant with expanded capacity) तक के लिए है।

- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ आबादी ग्राम–हथखोज 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन भिलाई नगर 3.5 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 36 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 12 कि.मी. एवं तालाब 1 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –** लेण्ड एरिया स्टेटमेंट की स्पष्ट प्रति मंगाया जाना आवश्यक है।

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप का विवरण निम्नानुसार है:–**

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 04/03/2021 के अनुसार :–

First Phase			
Product	**Facility**	**Existing Capacity (TPA)**	**After Expansion Capacity (TPA)**
MS Ingot/Billets	Induction Furnace and CCM	9,000	-
Re-rolled steel product	New Re-rolling mill connected to existing Billet Reheating Furnace	-	36,800
	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	21,000	21,000
	Total Re-rolled steel product		**57,800**
Second Phase			
Product	**Facility**	**Existing Capacity (TPA)**	**After Expansion Capacity (TPA)**
MS Ingot/Billets or Re-rolled product through hot charging	Induction Furnace and CCM (MS Billets)	9,000	38,640
	Or		
	Re-rolling mill with hot charging of semi-finished steel i.e. hot MS Billet	-	36,800
Re-rolled steel product through BRF	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	21,000	21,000

प्रस्तावित कार्यक्रम उपरांत :–

Unit	Product	After Expansion Capacity (TPA)	Total capacity (TPA)
Induction furnace	MS Ingot/Billets	1,33,000	1,33,000
Rolling mill	Re-rolled product through hot charging	1,05,000	2,49,000
	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	1,44,000	
Pipe Fabrication Unit	MS pipe	1,20,000	1,20,000

7. बी–मटेरियल :–

Material Balance (in TPA)			
For Induction furnace with hot charging mill			
Input		Output	
Sponge Iron	1,36,586	MS Billet and/or Hot Rolled TMT	1,05,000
CI / Pig Iron Heavy Scrap	30,625	Cold billet not possible to re-rolled	28,000
Ferro Alloys & Aluminium	1,697	Defective billets	4,200
Ramming mass and Refractory lining	350	Mill Scale from IF and CCM	2,800
		Slag	24,761
		Refractory Waste	175
		LOI	4,322
Total	**1,69,258**	**Total**	**1,69,258**
For Fuel Fired Rolling Mill			
Input		Output	
MS billet from internal and market	1,23,579	Re-rolled steel product	1,44,000
MS billet from internal	28,000	Mill Scale	3,600
		Miss roll/end cutting	3,979
Coal	17,280	Ash	1,728
		LOI	15,552
Total	**1,68,859**	**Total**	**1,68,859**
For Pipe Fabrication Unit (in TPA)			
Input		Output	
Steel strips from self	1,24,800	MS pipe	1,20,000
Welding electrodes required for pipe welding	200	Scrap from pipe mill	5,000
Total	**1,25,000**	**Total**	**1,25,000**

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – क्षमता विस्तार उपरांत इण्डक्शन फर्नेस के साथ सी.सी.एम. में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर विथ सेंट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम एवं चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है तथा कोल कैसीफायर री–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेट स्क्रबर एवं चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। क्षमता विस्तार उपरांत इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाती है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

S.No	Ttem	Qty (TPA)	Disposal
1.	Defective Billets	4,200	Will be partially used in own induction furnace and remaining will be sold to re-rolling mills.
2.	Slag	24,761	Will be internally used for metal recovery or given to metal recovery units.
3.	Refractory Waste	175	Will be given to authorized recyclers.
4.	Mill Scale	6,400	Will be sold to ferro alloys/Pellet plant etc.
5.	Miss Rolls/End cutting	3,979	Will be reused in own induction furnace.
6.	Coal Ash	1,728	Will be given to brick manufacturer and for road making and plinth filling.
7.	MS Scrap From Pipe mill	5,000	Will be internally re-used remaining will sold to other units.

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल स्रोत एवं स्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 51 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 45 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु 180 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 170 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 90 घनमीटर प्रतिदिन की अनुमति प्राप्त की गई है। शेष जल की आपूर्ति हेतु भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की

अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 19,641 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज पेल (व्यास 1 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) एवं 2 नग रिचार्ज पिट (3 मीटर लम्बाई, 2 मीटर चौड़ाई, 2 मीटर गहराई) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु 15 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिकली इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में भी यही व्यवस्था अपनाई गई है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल प्रोजक्ट के 0.82 हेक्टेयर (34 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 0.668 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। द्वितीय चरण में क्षेत्र 0.15 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि ई.आई.ए. तैयार किये जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च, 2022 से 31 मई, 2022 तक किया गया। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई. ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

ii. Project proponent shall submit compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iii. Project proponent shall submit the existing and proposed layout plan with KML file.

iv. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation (for existing & proposed).

v. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall submit NOC from competent authority for usage of water (for after expansion quantity).

viii. Project proponent shall submit existing and proposed land area statement.

ix. Project proponent shall submit details of coal consumption in per ton of products.

x. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

xi. Project proponent shall submit the Environmental audit report.

xii. Project proponent shall submit the action plan for energy conservation.

xiii. Project proponent shall submit the details of plantation / greenbelt in the EIA report along with detailed information (Size, species, number, width etc).

xiv. Project proponent shall submit details of Traffic Impact Study Report (for existing & proposed plan).

xv. Project proponent shall submit the detailed Social Impact Study Report.

xvi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

xvii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xviii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xix. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xx. Project proponent shall submit an action plan to mitigate the impact of CO_2 emission from the plant operation, the measures undertaking in the process and by the manufacture to minimize fossil fuels. Consumption and optimize combustion, the project proponent shall submit a study report on the decarbonization programme which would essentially consists of company's carbon emission, carbon budgeting/carbon balancing, carbon sequestration activities & carbon off setting strategies. Further, the report shall also contain time bound action plan to reduce its carbon intensity of its operation & supply chain, energy transition pathway from fossil fuel to renewable energy etc. All these activities / assessment should be measurable & monitorable with the define time frame, when project proponent comes for EC proposal these studies shall be formulated keeping in view India's Net Zero commitment at the COP26 Climate Summit.

xxi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xxii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xxiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त किया जावे। साथ ही अनुशंसित अतिरिक्त टी.ओ.आर. शर्त के बिन्दु क्रमांक 1 के निराकरण हेतु पूर्ण अभिमत अनुशंसा सहित प्रेषित किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अशोक साहू), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2018)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 70326/ 2021, दिनांक 11/09/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित कच्ची पत्थर (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 358, कुल क्षेत्रफल – 0.7 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,191.245 टन (876.498 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 358, कुल क्षेत्रफल–0.7 हेक्टेयर, उत्खनन मात्रा–876.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 16/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 140 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 24/08/2021 अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	निरंक
2018	314
2019	248
2020	350

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2021 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 14/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 863/क/खनि/न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 28/06/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद,

दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.9 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1287/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 24/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल,एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री फिरतू राम साहू के नाम पर थी। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 26/12/2006 से 25/12/2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण दिनांक 26/07/2018 को श्री अशोक साहू के नाम पर किया गया है। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 26/12/2016 से 25/12/2036 तक की अवधि हेतु निष्पादित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (श्री राजेन्द्र चन्द्राकर, ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./खनिज/6183 महासमुंद, दिनांक 31/12/2015 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. की दूरी पर होना बताया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बरबसपुर 840 मीटर, स्कूल ग्राम–बरबसपुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 9.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16 कि.मी. दूर है। नाला 130 मीटर, तालाब 700 मीटर, नहर 450 मीटर एवं महानदी 710 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 57,918 टन (23,167 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 22,174 टन (8,869 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 16,630 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 53,178 टन (21,271 घनमीटर) एवं माईनेबल रिजर्व 17,434 टन (6,973 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,041.3 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित

अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर थी, वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,886.25	षष्टम	2,212.5
द्वितीय	2,043.75	सप्तम	2,287.5
तृतीय	2,006.25	अष्टम	2,325
चतुर्थ	2,043.75	नवम	2,437.5
पंचम	2,191.87	दशम	2,550

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जावेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 609 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 140 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 469 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी क्षेत्रफल 3,041.3 वर्गमीटर है, जिसमें से 2,135.7 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का घोर उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii(i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–धोड़ारी, बरबसपुर एवं मुड़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 96 फर्शी पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–धोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर

एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–घोड़ारी एवं भुड़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 880 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10–10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/12/2021 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना भी दी गई थी।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.9 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) का रकबा 0.7 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण

को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from mining department.

iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

ii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of seasonal nallah & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौगोली तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक

कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iv) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सहार्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

7. मेसर्स चलेन स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री धीरज कुमार कोहली), ग्राम–धोड़ारी, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2019)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 76969/ 2022, दिनांक 11/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धोड़ारी, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 132, कुल क्षेत्रफल–0.86 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,805 टन (1.162 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री लीलाराम साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 132, कुल क्षेत्रफल–0.86 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–1,162 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 15/03/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be

considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/03/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 172 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 28/08/2021 अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	271
2018	663
2019	220
2020	433

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2021 से आज्ञान स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धोड़ारी का दिनांक 07/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1891/क/खनि/न.क्र./2018 महासमुंद, दिनांक 24/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 237/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 11/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 24 खदानें, क्षेत्रफल 16.97 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1293/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री धीरज कोठारी के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/10/2010 से 19/10/2020 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/10/2020 से 19/10/2040 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./खनिज/1026 महासमुंद, दिनांक 16/03/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 15 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुड़ेना 640 मीटर, स्कूल ग्राम–मुड़ेना 800 मीटर एवं अस्पताल महासमुंद 6.8 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 850 मीटर एवं राज्यमार्ग 13.2 कि.मी. दूर है। नाला 3.2 कि.मी., तालाब 680 मीटर, नहर 510 मीटर एवं महानदी 850 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 35,248 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 22,613 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 18,960 घनमीटर है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 32,817 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 20,182 घनमीटर शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,234 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,975 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	952.5	षष्टम	1,273.5
द्वितीय	1,215	सप्तम	1,269
तृतीय	1,210.5	अष्टम	1,270.5
चतुर्थ	1,219.5	नवम	1,264.5
पंचम	1,216.5	दशम	1,258.5

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.54 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चट्टी में 447 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 172 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 275 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–धोड़ारी, बरबसपुर एवं मुड़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 95 फर्शी पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–धोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं धोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–धोड़ारी एवं मुड़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 980 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10–10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/12/2021 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना भी दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 237/क/खनि/ग.क./2021 महासमुंद, दिनांक 11/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 24 खदानें, क्षेत्रफल 16.97 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–धोड़ारी) का रकबा 0.86 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–धोड़ारी) को मिलाकर कुल रकबा 17.83 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from mining department.

iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the

plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

ii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of seasonal nallah & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

8. मेसर्स चलेम स्टोन क्वारी माईन (प्रो.– श्री शंकर लाल चन्द्राकर), ग्राम–घोड़ारी, तहसील व जिला–महासमुंद (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 2020)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 76871/ 2022, दिनांक 11/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–घोड़ारी, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक – 225/2, कुल क्षेत्रफल–1.35 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,575 घनमीटर (3,937.5 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिनेश्वर कुमार चन्द्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में फर्सी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 226/2, कुल क्षेत्रफल-1.35 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता-1,575 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्बन्धात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-महासमुंद द्वारा दिनांक 09/06/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 08/06/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 08/06/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 270 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 28/08/2021 अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	निरंक
2018	
2019	220
2020	83

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2021 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पोड़ारी का दिनांक 07/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलान विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रका.) जिला रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक क/ख.नि./तीन–6/2017/3671(3) रायपुर, दिनांक 17/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 237/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 11/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 24 खदानें, क्षेत्रफल 16.48 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1296/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री शंकर लाल चन्द्राकर के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/03/2012 से 18/03/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/03/2022 से 18/03/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/म.वि./खनिज/7442 महासमुंद, दिनांक 09/12/2011 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पोड़ारी 175 मीटर, स्कूल ग्राम–पोड़ारी 810 मीटर एवं अस्पताल महासमुंद 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 270 मीटर एवं राज्यमार्ग 13.8 कि.मी. दूर है। मोसमी नाला 1.95 कि.मी., तालाब 620 मीटर, नहर 950 मीटर एवं महानदी 300 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 2,70,000 टन, माईनेबल रिजर्व 1,83,812 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,22,959 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 2,68,887 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,82,699 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,904 वर्गमीटर है। ओपन

कास्ट मेनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,913.5 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,000	षष्टम	3,525
द्वितीय	3,112.5	सप्तम	3,637.5
तृतीय	3,225	अष्टम	3,712.5
चतुर्थ	3,300	नवम	3,813.5
पंचम	3,412.5	दशम	3,937.5

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.43 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 780 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 270 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 510 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–धोड़ारी, बरबसपुर एवं मुड़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 96 फर्शी पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–धोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं धोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–धोड़ारी एवं मुड़ेना क्षेत्र में 26 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 860 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 96 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10–10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/12/2021 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना भी दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सल्लेंद्र चान्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 237/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 11/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 24 खदानें, क्षेत्रफल 16.48 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–घोड़ारी) का रकबा 1.35 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–घोड़ारी) को मिलाकर कुल रकबा 17.83 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from mining department.

iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall undertake survey and study for conservation of pond, canal & other water bodies and submit an action plan along with the EIA Report.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

ix. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को सम्पन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

ii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of seasonal nallah & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सकल टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

9. मेसर्स कृष्णा आयरन स्टीम्स एण्ड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड, उरला इण्डस्ट्रियल एरिया, ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 622)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 29809/2017, दिनांक 20/10/2016 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 221170/2021, दिनांक 22/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–सरोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल – 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत् आवेदन किया गया है:–

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन उपरांत प्रस्तावित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
बिलेट्स / इंगट	1,20,000	–	1,20,000
सी.सी.एम. एवं हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल	1,08,000	प्रतिस्थापित (Replaced)	प्रतिस्थापित (Replaced)
रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल	12,000	1,08,000	1,20,000
एम.एस. पाईप एण्ड ट्यूब्स	1,20,000	–	1,20,000
गैल्वेनाइजिंग ऑफ पाईप एण्ड ट्यूब एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600	–	34,600
फेब्रिकेशन यूनिट	34,600	–	34,600

पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु परियोजना की विनियोग रूपये 3 करोड़ होगी।

जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:– एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2019 द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–सरोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840,

841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल – 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है:–

कार्यकलाप	स्थापित क्षमता	क्षमता विस्तार उपरांत प्रस्तावित क्षमता
इण्डक्शन फर्नेस यूनिट विथ सी.सी.एम. से बिलेट्स/इंगाट उत्पादन हेतु	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष
रोलिंग मिल से डी–रोल्ड प्रोडक्ट्स उत्पादन हेतु	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष (1)
एम.एस. पाईप एण्ड ट्यूब	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष
गैल्वेनाइजिंग ऑफ पाईप एण्ड ट्यूब एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600 टन प्रतिवर्ष	34,600 टन प्रतिवर्ष
फेब्रिकेशन यूनिट	34,600 टन प्रतिवर्ष	34,600 टन प्रतिवर्ष

(1) कुल 1,20,000 टन प्रतिवर्ष रोल्ड प्रोडक्ट्स में से 1,08,000 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन ऑनलाईन हॉट बाजिंग रोलिंग मिल से लगे हुये इण्डक्शन फर्नेस यूनिट विथ सी.सी.एम. से किया जाएगा एवं शेष 12,000 टन प्रतिवर्ष रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन बिलेट री–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से किया जाना प्रस्तावित है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रभाकर लाल दास, प्लांट मैनेजर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारी में विषमता होने के कारण दिनांक 31/08/2021 को उनके द्वारा जानकारियों का पुनःपरीक्षण कर समिति के समक्ष आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रभाकर कुमार लाल दास, मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स ए.एम.पी.आई. इन्वायरो प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री निखिल आहुजा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Induction Area	2,800	10.05
2.	Rolling Mill	4,000	15.02
3.	GI Pipes & Fabriction unit	4,868	18.23
4.	Raw Material Yard	2,000	7.51

5.	Finished material & slag yard	1,500	5.63
6.	Road Area	900	3.40
7.	Open Area	1,800	6.70
8.	Greenbelt	8,802	33.01
	Total	**26,670**	**100**

2. **रॉ–मटेरियल –**

S. No.	Raw Material	Existing Quantity	After Amendment Quantity
1.	Sponge iron	1,14,000 TPA	1,14,000 TPA
2.	Scrap	24,000 TPA	24,000 TPA
3.	Alloys	1,200 TPA	1,200 TPA
4.	Coal	5 TPD	36 TPD
5.	Lime	-	63 TPA

3. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस एवं रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सेन्ट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर स्थापित है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पी.टी.एफ.ई. बैग फिल्टर एवं 33 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित किया गया है। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। पेलेनाइजिंग प्लांट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम एवं 33 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन उपरांत अपनाई जाएगी।

4. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन की मात्रा का उल्लेख किया गया था एवं वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पार्टिकुलेट मेटर के लिए प्रस्तुत गणना में उत्सर्जन की मात्रा में भिन्नता है। समिति का मत है कि उक्त का स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा के दौरान बताया गया कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार एस.ओ$_2$ उत्सर्जन की मात्रा 18,000 किलोग्राम प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित संशोधन हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे एस.ओ$_2$ उत्सर्जन की मात्रा 16,800 किलोग्राम प्रतिवर्ष होगी।

6. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित संशोधन उपरांत रोलिंग मिल से स्लेग – 17,100 टन प्रतिवर्ष, यूसड ऑयल – 0.21 घनमीटर प्रतिवर्ष, लाईम स्लज – 153 टन प्रतिवर्ष एवं ऐश – 13 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग प्रोसेसिंग यूनिट को विक्रय किया जाएगा। यूसड ऑयल को अधिकृत रिसाईक्लर को विक्रय किया जाएगा। लाईम स्लज को सीमेंट उद्योग को विक्रय किया जाएगा। ऐश को ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।

7. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 98 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 09 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 89 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत

परियोजना हेतु कुल 115 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 82 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट संग्रहण हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा 32,340 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जारी की गई थी, जिसकी वैधता दिनांक 07/02/2021 तक थी। वर्तमान में आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया जाना बताया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन हेतु अपनाई जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल स्त्रोत 18,313 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 12 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण स्त्रोत को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किये गये कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

8. **विद्युत खपत** – वर्तमान में परियोजना हेतु लगभग कुल 14.89 मेगावॉट विद्युत खपत होती है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 150 के.वी.ए. (02 नग x 75 के.वी.ए.) का डी.जी. सेट स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन उपरांत अपनाई जाएगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परिसर के भीतर सोलर प्लांट की स्थापना किया गया है। समिति का मत है कि सोलर प्लांट की क्षमता एवं फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.88 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,200 नग पौधे रोपित किया गया है तथा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार 33 प्रतिशत में से शेष 0.213 हेक्टेयर (8 प्रतिशत) वृक्षारोपण के स्थान पर दुगुना वृक्षारोपण 0.426 हेक्टेयर (16 प्रतिशत) का कार्य किये जाने हेतु अटल नगर विकास प्राधिकरण में राशि रूपये 20,16,000/- जमा किया गया है। साथ ही उनके द्वारा उद्योग परिसर के 5 किलोमीटर के भीतर 0.364 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 910 नग पौधे लगाया जाना बताया गया है। इस प्रकार कुल 1.344 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 3,110 नग पौधे रोपित किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण के रख-रखाव

आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1015	1%	10.15	Following activities at 10 Nearby Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	6.09
			Running Water Facility for Toilets	1.80
			Potable Drinking Water Facility with 3 year AMC	1.75
			Plantation with Fencing	1.00
			Total	**10.64**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–चुडमुड़ी, (2) शासकीय शाला ग्राम–खांगेरलेट (3) शासकीय शाला ग्राम–गोदाखोर, (4) शासकीय शाला ग्राम–बोहरडीह, (5) शासकीय शाला ग्राम–कूरवोनी, (6) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–माडी, (7) शासकीय शाला ग्राम–निलवा, (8) शासकीय शाला ग्राम–सनगुनी, (9) शासकीय शाला ग्राम–मरवा एवं (10) शासकीय शाला ग्राम–मेरवा में किया जाएगा।

11. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन हेतु एनर्जी बैलेंस, वॉटर बैलेंस एवं रॉ–मटेरियल बैलेंस चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत एनर्जी बैलेंस, वॉटर बैलेंस एवं रॉ–मटेरियल बैलेंस प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन की मात्रा का उल्लेख किया गया था एवं वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पार्टिकुलेट मेटर के लिए प्रस्तुत गणना में उत्सर्जन की मात्रा में भिन्नता है। समिति का मत है कि उक्त का स्पष्टीकरण किया जाए।
4. सोलर प्लांट की क्षमता (फोटोग्राफ्स सहित) एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाए।

5. जल आपूर्ति हेतु सीएसआईडीसी/जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रति प्रस्तुत किया जाए।

6. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत एनर्जी बैलेंस, वॉटर बैलेंस एवं रॉ–मटेरियल बैलेंस प्रस्तुत किया गया है।

3. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में इण्डक्शन फर्नेस–1, रि–हीटिंग फर्नेस एवं जी.आई. पाईप इकाई से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 4.104 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस–1, रि–हीटिंग फर्नेस एवं जी.आई. पाईप इकाई से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 3.402 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित संशोधन उपरांत रोलिंग मिल से स्लेग – 17,100 टन प्रतिवर्ष, यूज्ड ऑयल – 0.21 घनमीटर प्रतिवर्ष, लाईम स्लज – 153 टन प्रतिवर्ष एवं ऐश – 13 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि (2,700 घनमीटर) होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ (18,313 घनमीटर) का भू–गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

4. उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। इस बाबत् उद्योग प्रबंधन द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. सोलर प्लांट की क्षमता (फोटोग्राफ्स सहित) एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की गई है।

6. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से दिनांक 08/02/2021 से 07/02/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स कृष्णा आयरन स्टीफ्स एण्ड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सलोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818,

819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 836A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल – 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन दिए जाने की अनुशंसा की गई:–

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन उपरांत प्रस्तावित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
बिलेट्स / इंगोट	1,20,000	–	1,20,000
सी.सी.एम. एवं हीट चार्ज आधारित रोलिंग मिल	1,08,000	प्रतिस्थापित (Replaced)	प्रतिस्थापित (Replaced)
री–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल	12,000	1,08,000	1,20,000
एम.एस. पाईप एण्ड ट्यूब्स	1,20,000	–	1,20,000
गैल्वनाइजिंग ऑफ पाईप एण्ड ट्यूब एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600	–	34,600
फेब्रिकेशन यूनिट	34,600	–	34,600

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 16/03/2007 द्वारा रायपुर जिले के उरला, सिलतरा एवं बोरझरा क्षेत्रों में नये स्पंज आयरन प्लांट एवं कोयला आधारित विद्युत तापीय संयंत्र की स्थापना पर रोक बाबत् पत्र जारी किया गया था। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 07/07/2012 द्वारा राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 11वीं बैठक दिनांक 16/06/2012 के कार्यवाही विवरण से अवगत कराते हुये पत्र जारी किया गया है। उपरोक्त आदेशों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

2. पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रदूषण भार की गणना में वर्तमान में स्थापित री–हीटिंग फर्नेस एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत री–हीटिंग फर्नेस में वॉल्युमेट्रिक फ्लो रेट (7.06 सामान्य घनमीटर प्रति सेकेण्ड) का डाटा समान लिया गया है, जो कि तकनीकी दृष्टिकोण से संभव नहीं है। अतः उपरोक्त के परिपेक्ष में प्रदूषण भार की गणना का पुनः परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एनर्जी बैलेंस एवं हीट बैलेंस की जानकारी हेतु विद्युत खपत संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसे मान्य किया जाना संभव नहीं है। अतः वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत एनर्जी बैलेंस एवं हीट बैलेंस प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार अध्यक्ष महोदय के ई–मेल दिनांक 27/06/2022 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 29/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (**Technical Consultant is Busy in NABET Meeting**) से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से दिनांक 25/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ई) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 28/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रभाकर कुमार लाल दास, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपस्थित होकर सूचना दी गई कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(उ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अभिनव अग्रवाल, डायरेक्टर एवं श्री प्रभाकर लाल दास, मैनेजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा रोलिंग मिल से थीन स्ट्रीप्स (**finished product-thin strips**) का उत्पाद किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी। हीट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल में ताप की गिरावट होने के कारण से थीन स्ट्रीप्स का उत्पादन किया जाना संभव नहीं होना बताया गया है। उक्त कारणों से उनके द्वारा हीट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल से रि–हीटिंग आधारित रोलिंग मिल हेतु आवेदन किया गया है।

2. **प्रदूषण भार की गणना** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण भार की गणना कर निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

   i. वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस में चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर एवं वॉल्युमेट्रिक फ्लो रेट 12.34 सामान्य घनमीटर प्रति सेकेण्ड के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 10.533.6 कि.ग्रा.

प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत स्थापित इण्डक्शन फर्नेस में संलग्न बेग फिल्टर को पी.टी.एफ.ई. बेग फिल्टर में परिवर्तन कर पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर एवं वॉल्युमेट्रिक फ्लो रेट 12.34 सामान्य घनमीटर प्रति सेकेण्ड के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 8,553.6 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी।

ii. वर्तमान में स्थापित जी.आई. पाईप में चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर एवं वॉल्युमेट्रिक फ्लो रेट 11.33 सामान्य घनमीटर प्रति सेकेण्ड के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 30,587.34 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत स्थापित जी.आई. पाईप में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर एवं वॉल्युमेट्रिक फ्लो रेट 11.33 सामान्य घनमीटर प्रति सेकेण्ड के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 29,382 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी।

iii. प्रस्तावित संशोधन हेतु रि–हीटिंग आधारित रोलिंग मिल में स्थापित चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर एवं व्यास 1.18 मीटर को डिसमेंटल कर प्रस्तावित नवीन चिमनी की ऊंचाई 35 मीटर एवं व्यास 1.4 मीटर किया जाएगा। साथ ही स्थापित रि–हीटिंग आधारित रोलिंग मिल में संलग्न बेग फिल्टर को पी.टी.एफ. ई. बेग फिल्टर में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में स्थापित कोल गैसीफायर क्षमता 15 टन प्रतिघंटा से बढ़ाकर 25 टन प्रतिघंटा किया जाना प्रस्तावित है।

iv. वर्तमान में स्थापित रि–हीटिंग आधारित रोलिंग मिल में चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर एवं वॉल्युमेट्रिक फ्लो रेट 12.13 सामान्य घनमीटर प्रति सेकेण्ड के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 10,375.5 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत रि–हीटिंग आधारित रोलिंग मिल में चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर एवं वॉल्युमेट्रिक फ्लो रेट 18 सामान्य घनमीटर प्रति सेकेण्ड के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 12,830 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस, जी.आई. पाईप एवं रि–हीटिंग आधारित रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन कुल 51,496.44 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत इण्डक्शन फर्नेस, जी. आई. पाईप एवं रि–हीटिंग आधारित रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन कुल 50,765.6 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. क्रमांक 1038/2018 में दिनांक 10/07/2019 एवं 23/08/2019 को देश के 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों / क्लस्टर बाबत् पारित आदेश के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 8175/मुख्या./छ.ग.प.सं.म. /2019 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/12/2019 द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार "**Units shall provide green belt of 40% of the total plot area. In case there is restriction of land available within plant premises for 40% green belt development, then the unit shall carry out balance plantation within 5 km radius from its premises to achieve the required plantation of 40%.**" का उल्लेख है। अतः उद्योग परिसर के कुल क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

4. परियोजना में कोल गैसीफायर का उपयोग किये जाने के कारण संभवतः फिनोलिक वॉटर उत्पन्न होगा। अतः इस संबंध में फिनोलिक वॉटर के निपटान हेतु प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत हीट बैलेंस प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित संशोधन उपरांत परियोजना हेतु विनियोग 34.42 करोड़ होगा। अतः समिति का मत है कि उक्त विनियोग के आधार पर सी.ई.आर. हेतु व्यय किये जाने वाले राशि में वृद्धि होगा। अतः सी.ई.आर. का पूर्ण विवरण सहित संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत प्लांट ले–आउट में सभी इकाईयों को स्पष्ट दर्शाते हुये संशोधित ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कुल क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. फिनोलिक वॉटर के निपटान हेतु प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत हीट बैलेंस प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. का पूर्ण विवरण सहित संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत प्लांट ले–आउट में सभी इकाईयों को स्पष्ट दर्शाते हुये संशोधित ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/09/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ऊ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:–

1. वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.88 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,200 नग पौधे रोपित किया गया है। साथ ही उनके द्वारा उद्योग परिसर के 5 किलोमीटर के भीतर भूमि खसरा क्रमांक 130/20 का भाग क्षेत्रफल 1 एकड़ (0.406 हेक्टेयर) क्षेत्र में कुल 1,012 नग पौधे लगाया जाएगा। उक्त भूमि का विक्रय इकरारनामा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार कुल 1.286 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 3,212 नग पौधे रोपित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार 33 प्रतिशत में से शेष 0.213 हेक्टेयर (6 प्रतिशत) वृक्षारोपण के स्थान पर दुगुना वृक्षारोपण 0.426 हेक्टेयर (12 प्रतिशत) का कार्य किये जाने हेतु अटल नगर विकास प्राधिकरण में राशि रुपये 20,16,000/– जमा किया गया है।

2. हीट चार्ज मोड में प्रोड्यूसर गैस का उपयोग किया जायेगा। जनित हीट गैस (प्रोड्यूसर गैस) को इन्सुलेटेड पाईपलाईन के माध्यम से कनैस तक ले जाया जाएगा, जिससे कि कन्डेंसेशन (Condensation) नगण्य होगी। यदि किसी कारण वश (शटडाउन या प्रोड्यूसर गैस के तापमान के गिरावट की स्थिति में) उत्पन्न किनॉलिक दूषित जल को पुनः गैसीफायर में प्रवाहित कर बर्न (Burn) किया जाना प्रस्तावित है। तदोपरांत शीघ्रता से वाष्पीकृत होगा एवं ऑक्सीकरण में वृद्धि होगा जहाँ तापमान 1000 से 1200°C रहेगा। इस प्रकार उत्पन्न किनॉलिक दूषित जल को प्रक्रिया में ही निपटान कर लिया जाएगा। किनॉलिक दूषित जल को बाहर निस्तारित नहीं किया जायेगा।

3. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत हीट बैलेंस प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु पूर्ण विवरण सहित संशोधित निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
300	1%	3.00	Following activities at 3 Nearby Government Schools	
			Plantation with Fencing	3.30
			Total	3.30

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय प्राथमिक शाला मजदूर नगर, धरसीवां, (2) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–सरोरा, रायपुर एवं (3) शासकीय उच्च माध्यमिक शाला ग्राम–सरोरा, रायपुर में किया जाएगा। प्रस्तावित स्कूलों के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत प्लांट ले–आउट में सभी इकाईयों को स्पष्ट दर्शाते हुये संशोधित ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स कृष्णा आयरन स्टीपस एण्ड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सरोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल – 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन उपरांत प्रस्तावित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
बिलेट्स / इंगाट	1,20,000	–	1,20,000

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन उपरांत प्रस्तावित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
सी.सी.एम. एवं हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल	1,08,000	प्रतिस्थापित (Replaced)	प्रतिस्थापित (Replaced)
रि-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल	12,000	1,08,000	1,20,000
एम.एस. पाईप एण्ड ट्यूब्स	1,20,000	—	1,20,000
गैल्वेनाइजिंग ऑफ पाईप एण्ड ट्यूब एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600	—	34,600
फेब्रिकेशन युनिट	34,600	—	34,600

साथ ही पूर्व बैठक में दिये गये निहित शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी करने का निर्णय लिया गया:-

   i. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट **www.parivesh.nic.in** पर भी किया जा सकता है। जन शिकायतों के निवारण हेतु कार्ययोजना तैयार कर तदानुसार समाधानात्मक कार्यवाही किया जाए।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार प्रदूषण भार की गणना एवं वर्तमान में प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के तहत् प्रदूषण भार की गणना के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT)/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT)/ अन्य शासकीय संस्थान से जाँच उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

   iii. परियोजना की कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि रूपये 6 लाख को सी.ई.आर. के तहत् व्यय किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव 2 माह के भीतर जमा किया जाए।

   साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन पत्र जारी किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मैसर्स श्री घनश्याम देवांगन (माताराम सॉईल/आर्डिनरी क्ले क्वारी), ग्राम–माताराम, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1840)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 242241/2021, दिनांक 04/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में पुनःविचार किये जाने हेतु दिनांक 25/05/2022 को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–माताराम, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 117 एवं 120, कुल क्षेत्रफल – 1.032 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,000 घनमीटर (1,500 टन) प्रतिवर्ष है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 121, दिनांक 29/04/2022 के माध्यम से "लीज क्षेत्र से निकटतम आबादी ग्राम–माताराम 100 मीटर की दूरी में स्थित है। उक्त दिशा–निर्देश के आधार पर आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई से 0.5 किलोमीटर क्षेत्र छोड़े जाने की स्थिति में मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई में उत्खनन हेतु बहुत कम क्षेत्र अवशेष होना संभावित है। अतः प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।" के कारण परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन को डि–लिस्ट/निरस्त किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में भूमि अर्जन हेतु निवेश किया गया है। अतः यह प्रस्ताव क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। आवेदन तथा सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 04/12/2021 से 03/03/2022 के बीच विलिवत् में पूर्ण की गई है, इस बीच पूर्व गठित समिति के कार्यकाल की समाप्ति एवं नवीन समिति की स्थापना में लगने वाले समय में कार्य बाधित रहा। भारत सरकार द्वारा नवीन गाईडलाईन/नियम दिनांक 22/02/2022 को जारी किया गया। अतः भारत सरकार के द्वारा नियम जारी करने के पूर्व ही मेरे प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही की जा चुकी है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण के निरस्तीकरण निर्णय को निरस्त करके पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा समस्त प्रकरणों में किये जाने वाले अनुशंसा / निर्णय भारत

सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचनाओं एवं ऑफिस मेमोरेण्डमों के आधार पर ही किया जाता है।

आवेदित प्रकरण में भी भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22/02/2022 को जारी अधिसूचना के आधार पर ही निर्णय लिया जाकर डि-लिस्ट/निरस्त किया गया है। अतः प्रकरण में पुनःविचार किया जाना संभव नहीं है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के पुनःविचार किये जाने संबंधी अनुरोध को अमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् वापस किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 का अवलोकन करें।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/08/2022 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के पुनःविचार किये जाने संबंधी अनुरोध को अमान्य किये जाने बाबत् पत्र जारी किया गया है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अमान्य किये गये प्रकरण में पुनःविचार किये जाने हेतु पुनः दिनांक 07/09/2022 को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अमान्य किये गये प्रकरण में पुनःविचार किये जाने हेतु प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

   - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1708/ख.नि. 03/2021 राजनांदगांव, दिनांक 12/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

   - ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र, वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अतिरिक्त उक्त आशय पत्र (एल.ओ.आई.) की शर्तों के अनुपालन में दिनांक 16/11/2021 को संयुक्त संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर द्वारा अनुमोदित उत्खनन योजना भी प्रस्तुत कर दी गई है।

   - उक्त भूमि श्री मिथलेश्वर दास के नाम पर है। मेरे द्वारा उत्खनन हेतु उक्त भूमि भूमिस्वामी से लीज पर ली गई है जिसका सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

   - पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 242241 /2021, दिनांक 04/12/2021 को प्रस्तुत कर दिया गया था।

- एस.ई.आई.ए.ए. / एस.ई.ए.सी. (छ.ग.) का कार्यकाल सितम्बर 2021 में समाप्त होने के पश्चात् समिति द्वारा प्रथम बैठक दिनांक 10/01/2022 को आहूत की गई 3-4 माह के लंबित प्रकरण के कारण मेरे द्वारा दिनांक 04/12/2021 को किये गए आवेदन के प्रस्तुतीकरण हेतु दिनांक 03/03/2022 को उपस्थित होने के लिए दिनांक 23/02/2022 के माध्यम से निर्देशित किया गया एवं एस.ई.ए.सी. (छ.ग.) के समक्ष दिनांक 03/03/2022 को प्रस्तुतीकरण दिया गया।

- एस.ई.आई.ए.ए., (छ.ग.) द्वारा जारी पत्र क्रमांक 121/एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग./सदस्य/1840 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/04/2022 के माध्यम से उक्त आवेदन को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली, द्वारा जारी नवीन अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 का अनुपालन दर्शाते हुए निरस्त कर दिया गया।

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के अनुसार इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2022 है, ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। इसमें निहित टिप्पणी क्रमांक 6 के अनुसार "ईंट भट्ठों को आवासों और फलों के बागों से 0.8 कि.मी. की न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए।"

- उक्त प्रकरण के तारतम्य में यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के पूर्व अर्थात् दिनांक 12/10/2021 (आशय पत्र जारी दिनांक) से शासकीय अभिलेखों में गतिशील था एवं आवेदक द्वारा सभी शासकीय मापदंडों को पूरा करने पर ही आशय पत्र जारी किया गया था। तथा अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के अंतिम प्रकाशन की तारीख के पूर्व से गतिशील होने के कारण उक्त नियम इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं ।

- उक्त प्रकरण ईंट मिट्टी उत्खनन का होने के कारण, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में उत्खनन केवल 2 मीटर की सीमित गहराई तक ही किया जाना प्रस्तावित है, अतः यह स्पष्ट है कि इससे पर्यावरण पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि खनन में किसी विशेष बदलाव की आवश्यकता होगी तो वह भी आवेदक द्वारा किया जाएगा।

- उक्त उद्योग की स्थापना आदि में आवेदक द्वारा सभी प्रचलित नियमों का पालन किया गया है साथ ही अत्यधिक कर्ज आदि लेकर व्यय किया जा चुका है एवं आवेदक भविष्य में भी सभी नियमों का पालन करने हेतु प्रतिबद्ध है, इन तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए एस.ई.आई.ए.ए.(छ.ग.) के समक्ष पत्र दिनांक 21/06/2022 (कार्यालय प्राप्ति दिनांक 26/06/2022) के माध्यम से आवेदक द्वारा निवेदित किया गया था कि पुनर्विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करें परन्तु सक्षम अधिकारियों द्वारा इन तथ्यों को दरकिनार करते हुए पुनः दिनांक 22/02/2022 को जारी आदेश का हवाला देते हुए 129वीं बैठक दिनांक 27/07/2022 के कार्यसूची विवरण जिसमें दर्शित एजेंडा आइटम क्रमांक 3 के सरल क्रमांक 3 (पृष्ठ -62) में आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनर्विचार आवेदन को अमान्य करने का निर्णय ले लिया गया।

- उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ऐसे प्रकरणों पर एकपक्षीय कार्यवाही कर अत्यधिक व्यय पश्चात् निलंबन/निरस्त करने से आवेदक को अत्यधिक वित्तीय नुकसान होने के साथ ही रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी एवं शासन की आत्मनिर्भर भारत योजना से प्रेरित मेरे जैसे युवा जो अपना सर्वस्व लगाकर बैंक इत्यादि से कर्ज लेकर स्वरोजगार के साथ ही कुछ अन्य आश्रितों को भी रोजगार देने हेतु प्रयास कर रहे हैं उन्हें केवल नियमों की अतार्किक व्याख्या का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु स्पष्ट मार्गदर्शन के आधार पर प्रकरण के निरस्तीकरण निर्णय को पुर्नविचार हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिये जाने हेतु एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिये जाने हेतु पत्र लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को तदानुसार पत्र लेख किया जाए।

11. मेसर्स लाईम स्टोन (फ्लेग स्टोन) क्वारी माईन (प्रो.– श्री चन्द्रशेखर चन्द्राकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2023)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए /सीजी /एमआईएन / 68788/ 2021, दिनांक 16/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 206, कुल क्षेत्रफल–0.3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 588.75 टन (236.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 423वीं बैठक दिनांक 08/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री तरुण चन्द्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 206, कुल क्षेत्रफल – 0.3 हेक्टेयर, क्षमता – 235.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद दिनांक 15/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 14/02/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 100 मग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन दिनांक 06/09/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	निरंक
2018	118
2019	122
2020	39
दिनांक 01/01/2021 से दिनांक 30/09/2021	136
दिनांक 01/10/2021 से दिनांक 31/03/2022	195

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 14/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1784/क/खनि/म.क./2016 महासमुंद, दिनांक 03/09/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 68 खदानें, क्षेत्रफल 40.3 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1351/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 08/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री चन्द्रशेखर चन्द्राकर के नाम पर है। पूर्व में लीज डीड दिनांक 24/07/1998 से दिनांक 23/07/2008 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 23/07/2008 से 23/07/2018 तक थी। तदुपरांत लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् 24/07/2018 से 23/07/2028 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बरबसपुर 830 मीटर, स्कूल ग्राम–बरबसपुर 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15.30 कि.मी. दूर है। मौसमी नाला 450 मीटर, तालाब 850 मीटर, नहर 920 मीटर एवं महानदी 240 मीटर दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 19,027 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 5,138 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 3,853 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,601 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर थी, जिसका उत्खनन पूर्व में ही किया जा चुका है। बैंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	174	पांचवां	240

द्वितीय	159	सप्तम	250.5
तृतीय	204	अष्टम	262
चतुर्थ	226	नवम	266
पंचम	235.5	दशम	264

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.28 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 321 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 100 नग वृक्षारोपण किया गया है।

13. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,801 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 886 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर एवं 445 वर्गमीटर क्षेत्र 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–घोड़ारी, बरबसपुर एवं मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 95 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–घोड़ारी एवं मुढ़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 880 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10–10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक

01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/म.क./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 89 खदानें, क्षेत्रफल 40.3 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) का रकबा 0.3 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

vii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance

cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

ii. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म,

इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

12. मेसर्स लाईम स्टोन (चूनेव स्टोन) क्वारी (प्रो.– श्री महेन्द्र प्रताप सोनवानी), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2024)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 69810/ 2021, दिनांक 17/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 244, कुल क्षेत्रफल–0.32 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 937.5 टन (375 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 423वीं बैठक दिनांक 08/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री महेन्द्र प्रताप सोनवानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 244, कुल क्षेत्रफल – 0.32 हेक्टेयर, क्षमता – 375 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मापात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 15/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 14/02/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी

पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 28/08/2021 अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	615
2018	443
2019	530
2020	380

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2021 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 14/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक क./खनि./तीन–2016/2457(3) रायपुर, दिनांक 05/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.28 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1296/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री महेन्द्र प्रताप सोनवानी के नाम पर है। पूर्व में लीज डीड 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 03/10/1998 से दिनांक 02/10/2008 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् 03/10/2008 से 02/10/2028 तक की अवधि हेतु निष्पादित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बरबसपुर 700 मीटर, स्कूल ग्राम–बरबसपुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 9.75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15.85 कि.मी. दूर

है। महानदी 300 मीटर, मौसमी नाला 810 मीटर, नहर 1 कि.मी. एवं तालाब 400 मीटर दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 50,747 टन (20,299 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 9,810 टन (3,924 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 7,357 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 48,344 टन (19,337 घनमीटर) एवं माईनेबल रिजर्व 7,407 टन (2,962 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,882 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,634 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	787.5	षष्टम	975
द्वितीय	825	सप्तम	1,012.5
तृतीय	862.5	अष्टम	1,050
चतुर्थ	900	नवम	1,087.5
पंचम	937.5	दशम	1,071.25

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.42 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 375 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 130 नग वृक्षारोपण किया गया है।

13. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,882 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 349 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–धोड़ारी, बरबसपुर एवं मुड़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 96 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–धोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं धोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–धोड़ारी एवं मुड़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 96 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10–10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क्षे./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.28 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) का रकबा 0.32 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का

कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from mining department.

iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

ii. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

13. मेसर्स पलेश स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री कृष्ण कुमार चन्द्राकर), ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2025)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77019/ 2022, दिनांक 17/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित कच्ची पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक – 2725/1 एवं 2726/2, कुल क्षेत्रफल–0.53 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,500 टन (1,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 423वीं बैठक दिनांक 08/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण कुमार चन्द्राकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 2725/1 एवं 2725/2, कुल क्षेत्रफल – 0.53 हेक्टेयर, क्षमता – 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद दिनांक 19/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 18/01/2023 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 18/01/2024 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 150 नग वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 11/03/2022 अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018	निरंक
2019	87
2020	102
दिनांक 01/01/2021 से दिनांक 30/06/2021	380

   समिति का मत है कि दिनांक 01/07/2021 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नांदगांव का दिनांक 23/10/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलीग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.नि./तीन–6/2017/584 रायपुर, दिनांक 24/08/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 408/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 11/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल 8.2 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 408/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 11/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री कृष्ण कुमार चन्द्राकर के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 05/04/2018 से 04/04/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 2725/1 श्री बलदाऊ चंद्राकर एवं खसरा क्रमांक 2725/2 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./3761 महासमुंद, दिनांक 03/08/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 470 मीटर की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नांदगांव 810 मीटर, स्कूल ग्राम–नांदगांव 850 मीटर एवं अस्पताल महासमुंद 7.15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.60 कि.मी. दूर है। तालाब 1.10 कि.मी., मौसमी नाला 60 मीटर, नहर 2.8 कि.मी. एवं महानदी 600 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 21,200 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 10,519 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 7,888 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,401 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,684 घनमीटर है। बेंच

की लंबाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	840	सप्तम	996
द्वितीय	870	अष्टम	996
तृतीय	930	नवम	999.5
चतुर्थ	960	दशम	1,000
पंचम	978		

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.68 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 480 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 150 नग वृक्षारोपण किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक श्री धीरेन्द्र लोनारे (एसआईए /सीजी /एमआईएन / 618281/2021), श्री हीरेन्द्र साहू (एसआईए /सीजी /एमआईएन / 61986/2021) एवं श्री प्रेमनारायण चन्द्राकर (एसआईए /सीजी /एमआईएन / 61875/2021) में आने वाली समस्त खदानों को क्लस्टर में शामिल करते हुए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 मार्च, 2021 से 15 जून, 2021 के मध्य किया गया था। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, इस बाबत् श्री धीरेन्द्र लोनारे, श्री हीरेन्द्र साहू एवं श्री प्रेमनारायण चन्द्राकर का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त से समिति सहमत हुई।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 408/क/खनि/म.क./2021 महासमुंद, दिनांक 11/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल 8.2 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–नांदगांव) का रकबा 0.53 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–नांदगांव) को मिलाकर कुल रकबा 8.73 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

   iii. Project proponent shall submit production detail from 01/07/2021 to till date from mining department.

   iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

   v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

   vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

   vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

   viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

   ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

   x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

ii. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

14. मेसर्स रामा बिल्डकॉन एंड रियल स्टेट प्राईवेट लिमिटेड (प्रो.– श्री कमल कुमार अग्रवाल, डौर लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–डौर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2030)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77084/ 2022, दिनांक 19/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डौर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 434/1, 434/2, 434/3, 434/4, 434/5, 434/6, 434/7, 434/8, 434/9, 434/10, 434/11, 434/12, 434/13, 434/14, 453/1(पार्ट), 471(पार्ट), 560/2(पार्ट), 455, 456, 458/1(पार्ट), 469(पार्ट), 561/1(पार्ट), 561/2, 561/3(पार्ट), 561/5(पार्ट) एवं 561/6, कुल क्षेत्रफल–9.94 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 423वीं बैठक दिनांक 08/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आदर्श अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डौर का दिनांक 02/12/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ क्रशर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक, दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – स्थायी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनिज प्रशासन), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/111/खनि.अनु.–01/2022 दुर्ग, दिनांक 28/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/199/खनि. लि.02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 11/05/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/200/खनि. लि. 02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 11/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, रेल लाईन एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. रामा बिल्डकॉन एण्ड रियल स्टेट प्रा.लि. के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के

ज्ञापन क्रमांक/24/खनिज/उ.प./2022 दुर्ग, दिनांक 06/04/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 434/1, 434/2, 434/3, 434/4, 434/5, 434/6, 434/7, 434/8, 434/9, 434/10, 434/11, 434/12, 434/13, 453/1(पार्ट), 471(पार्ट), 560/2(पार्ट) पृथ्वी ट्रांसमाइन प्रा. लि. डॉयरेक्टर श्री कमल कुमार अग्रवाल (आवेदक) एवं खसरा क्रमांक 455, 456, 458/1(पार्ट), 469(पार्ट), 561/1(पार्ट), 561/2, 561/3(पार्ट), 561/5(पार्ट) एवं 561/6, 434/14 राग बिल्डकॉन एंड रियल स्टेट प्राईवेट लिमिटेड डॉयरेक्टर श्री कमल कुमार अग्रवाल (आवेदक) के नाम पर है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/3772 दुर्ग, दिनांक 05/10/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 50 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-डौर 800 मीटर, स्कूल ग्राम-डौर 1 कि.मी. एवं अस्पताल सेतुद 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। तालाब 480 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 49,70,000 टन, माईनेबल रिजर्व 21,50,964 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 19,35,858 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 19,323 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 31,273 घनमीटर है, जिसमें से 18,626 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 12,647 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को गैर माईनिंग क्षेत्र में संरक्षित कर पुनःभराव हेतु उपयोग किया जावेगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 14.33 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 4,752 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,00,355
द्वितीय	1,50,000
तृतीय	1,50,000

चतुर्थ	2,00,000
पंचम	1,50,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन नहीं किया गया है।

16. **नॉन माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र से हाई–टेंशन लाईन गुजरने के कारण 11,868 वर्गमीटर क्षेत्र एवं लीज क्षेत्र में कुछ संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण 73 वर्गमीटर क्षेत्र को नॉन माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र चाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन न. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/199/खनि. नि.02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 11/05/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–डौर) का रकबा 9.94 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

    i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

    ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the details of total project cost breakup.

iv. Project proponent shall submit the NOC from Central Ground Water Authority for uses of water.

v. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat for establishment of proposed crusher.

vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. Project proponent shall submit Traffic Impact Study and Social Impact Study & incorporate in the EIA report.

xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

xii. EIA study shall be at minimum 8 no. of monitoring stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvi. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit the details of pollution control arrangement in crusher.

xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से**

निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टीओआर के शर्त में निम्न संशोधन किया गया कि 2 (i) "Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report." के स्थान पर 2 (i) "Project Proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report." पढ़ा जाए।

साथ ही प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:-

i. Project Proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project Proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

ii. Project Proponent shall ensure to obtain prior Air & Water consent for crusher from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iii. Project Proponent shall carry out study for conservation of water bodies/pond and shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies located near the site, within the periphery of half km and earmark fund for the same in EMP.

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

15. मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री महेन्द्र कुमार साहू), ग्राम–घोड़ारी, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2031)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 69778/ 2021, दिनांक 19/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–घोड़ारी, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 10, कुल क्षेत्रफल–0.58 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,225 टन (1,290 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 423वीं बैठक दिनांक 08/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री महेन्द्र कुमार साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 10, कुल क्षेत्रफल – 0.58 हेक्टेयर, क्षमता – 1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद दिनांक 16/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/03/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/03/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 116 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 06/10/2021 अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	27
2018	159
2019	93
2020	90

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2021 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पीड़ारी का दिनांक 07/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलीग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./सीन–6/2016/3147(3) रायपुर, दिनांक 31/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.02 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1496/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 07/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज पूर्व में श्री जितेन्द्र कुमार साहू के नाम पर थी। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/03/2006 से 29/02/2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज का हस्तांतरण दिनांक 20/06/2011 को श्री महेन्द्र कुमार साहू के नाम पर किया गया। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/03/2016 से 29/02/2036 तक की अवधि हेतु निलंबित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/238414 महासमुंद, दिनांक 03/01/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धोड़ारी 560 मीटर, स्कूल ग्राम–धोड़ारी 1.55 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 8.15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.5 कि.मी. दूर है। तालाब 1.6 कि.मी. मीटर, मौसमी नाला 1.5 कि.मी., नहर 970 मीटर एवं महानदी 220 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 37,780 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 14,742 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 11,056 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,184 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,139.5 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया

गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	850.5	षष्टम	1,362
द्वितीय	952.5	सप्तम	1,446
तृतीय	1,063.5	अष्टम	1,497
चतुर्थ	1,216.5	नवम	1,568
पंचम	1,290	दशम	1,575

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.49 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 436 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 156 नग वृक्षारोपण किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,184 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 569 वर्गमीटर क्षेत्र 6.5 मीटर और 186 वर्गमीटर क्षेत्र 6.5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–धोड़ारी, बरबसपुर एवं मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 95 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–धोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं धोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–धोड़ारी एवं मुढ़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 680 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओवर लेप हो रहा है।

अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10–10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.02 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–घोड़ारी) का रकबा 0.58 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–घोड़ारी) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) माईन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from mining department.

iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate

the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

ii. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़

पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

16. मेसर्स लाईम स्टोन (फ्लेग स्टोन) क्वारी (प्रो.– श्री झालाराम चन्द्राकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2032)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 69791/ 2021, दिनांक 19/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 210, कुल क्षेत्रफल–0.41 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,062.75 टन (425.1 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 423वीं बैठक दिनांक 08/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री झालाराम चन्द्राकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 210, कुल क्षेत्रफल – 0.41 हेक्टेयर, क्षमता – 425.1 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्माघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद दिनांक 16/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 14/02/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control,

however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 82 गण वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 23/08/2021 अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	630
2018	445
2019	908
2020	186

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2021 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरकतपुर का दिनांक 12/02/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलीग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1816/क/खनि/न.क./2016 महासमुंद, दिनांक 08/09/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.19 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1244/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 23/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री झालाराम चन्द्राकर के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/06/2000 से 21/06/2010

तक की अवधि हेतु पैच की। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/06/2010 से 21/06/2030 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बरकसपुर 650 मीटर, स्कूल ग्राम–बरकसपुर 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 9.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15.35 कि.मी. दूर है। तालाब 700 मीटर, मौसमी नाला 330 मीटर, नहर 940 मीटर एवं महानदी 260 मीटर दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 26,539 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 6,705 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 5,029 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,196.2 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,704 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	320.1	षष्टम	432.6
द्वितीय	342.3	सप्तम	434.7
तृतीय	375	अष्टम	438
चतुर्थ	412.5	नवम	440.4
पंचम	425.1	दशम	442.5

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 438 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 82 नग वृक्षारोपण किया गया है।

13. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,196.2 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 196.6 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी

में उल्लंघन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–घोड़ारी, बरबसपुर एवं मुड़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 95 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–घोड़ारी एवं मुड़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 880 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10–10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सायेद पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.19 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) का रकबा 0.41 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

   iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from mining department.

   iv. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

   v. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

   vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

ix. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

ii. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सहार्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

17. मेसर्स जय बजरंग औद्योगिक खदान कामगार सहकारी समिति (प्रो.– श्री भगवानी राम निषाद (अध्यक्ष), लाईम स्टोन (चूनेगी) क्वारी), ग्राम–निवदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2033)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77109/ 2022, दिनांक 20/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1344 एवं 1345, कुल क्षेत्रफल–0.566 हेक्टेयर (1.4 एकड़) में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 1,123.2 घनमीटर (2,808 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 423वीं बैठक दिनांक 08/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सतीश चन्द्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1344 एवं 1345, कुल क्षेत्रफल – 1.4 एकड़, क्षमता – 2,808 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 15/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/11/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 250 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख. नि./गौण–6/2022/824 रायपुर, दिनांक 09/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	207

2018	969
2019	480
2020	775
2021	585

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2022 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत निसदा का दिनांक 03/10/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलीग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/ख.लि./उ.प. 147/2006/3445 रायपुर, दिनांक 27/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1922/ख.लि./टीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 08/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.76 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1922/ख.लि./टीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 08/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जलआपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज जय बजरंग औद्योगिक खदान कामगार सहकारी समिति, अध्यक्ष श्री भगवानी राम निषाद के नाम पर है। लीज डीड 15 वर्षों अर्थात् दिनांक 16/08/1997 से 15/08/2012 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज डीड 15 वर्षों अर्थात् दिनांक 16/08/2012 से 15/08/2027 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–निसदा 1.3 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–निसदा 1.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है। नहर 470 मीटर एवं महानदी 170 मीटर की दूरी पर स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 96,097 टन, माईनेबल रिजर्व 36,453 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 27,430 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,458 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,775	षष्टम	2,880
द्वितीय	2,787.5	सप्तम	2,891.25
तृतीय	2,801.25	अष्टम	2,913.75
चतुर्थ	2,816.25	नवम	2,936.25
पंचम	2,853.75	दशम	2,951.25

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 300 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,458 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 723 वर्गमीटर क्षेत्र 7.5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

20. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1822/ख.नि./तीन-6/2022 रायपुर, दिनांक 08/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.78 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-निसदा) का रकबा 0.588 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-निसदा) को मिलाकर कुल रकबा 12.32 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iv. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2022 to till date from mining department.

v. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance

cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

ii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of seasonal nallah & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

iii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(ज) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सहार्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

18. मेसर्स लाईम स्टोन (चूनेगी) क्वारी (प्रो.– श्री देवानंद साहू), ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2034)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77117/ 2022, दिनांक 20/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित कच्ची पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1344, कुल क्षेत्रफल–0.809 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 1,302 घनमीटर (3,255 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 423वीं बैठक दिनांक 08/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री देवानंद साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में कच्ची पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1344, कुल क्षेत्रफल – 2 एकड़, क्षमता – 3,255 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 16/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/11/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/खनि/तीन–6/2022/822 रायपुर, दिनांक 09/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	58
2018	345
2019	577
2020	384
2021	250

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2022 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत निसदा का दिनांक 28/01/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलोंग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक/खनि/उ.प्र. 15/2004/3422 रायपुर, दिनांक 23/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1821/खनि/तीन–6/2022 रायपुर दिनांक 08/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.52 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1821/खनि/तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 08/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री देवानंद साहू के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/11/2004 से 16/11/2014 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/11/2014 से 16/11/2034 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–निसदा 1 कि.मी., एवं स्कूल ग्राम–निसदा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 830 मीटर दूर है। नहर 300 मीटर एवं महानदी 300 मीटर की दूरी पर स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,11,645 टन, माईनेबल रिजर्व 35,715 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 26,786 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,598 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,075	षष्टम	3,562.5
द्वितीय	3,187.5	सप्तम	3,645
तृतीय	3,262.5	अष्टम	3,750
चतुर्थ	3,337.5	नवम	3,855
पंचम	3,412.5	दशम	3,975

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 350 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,598 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 1,581 वर्गमीटर क्षेत्र 4.5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII(i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1921/ख.नि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 08/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.52 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–निलदा) का रकबा 0.809 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–निलदा) को मिलाकर कुल रकबा 12.32 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंदाकली भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iv. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2022 to till date from mining department.

v. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone,

calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

ii. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.

iii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(ज) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सहार्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 **पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम हस्तांतरण तथा अन्य आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स लक्ष्मी मिक्स (प्रो.– श्रीमती लक्ष्मी चंद्रा), ग्राम–कोन्दुडार, तहसील–सरायपाली, जिला–महासमुंद**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 291590/2022, दिनांक 09/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह खदान ग्राम–कोन्दुडार, तहसील–सरायपाली, जिला–महासमुंद के खसरा क्रमांक 25/1, 120/1, 121, 1222, 123, 124, 125, 126, 127,128, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 134 एवं 135/1, कुल लीज क्षेत्र–4.882 हेक्टेयर, मिट्टी (गौण खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–4,800 टन प्रतिवर्ष की है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/09/2022 के माध्यम से ऑनलाईन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए.

अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स लक्ष्मी ब्रिक्स (प्रो.– श्रीमती लक्ष्मी चंद्रा), ग्राम–केन्दुद्वार, तहसील–सरायपाली, जिला–महासमुंद

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी1 / 400812/2022, दिनांक 20/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह खदान ग्राम–केन्दुद्वार, तहसील–सरायपाली, जिला–महासमुंद के खसरा क्रमांक 26/1, 120/1, 121, 1222, 123, 124, 125, 126, 127,128, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 134 एवं 135/1, कुल लीज क्षेत्र–4.882 हेक्टेयर, मिट्टी (गौण खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–4,800 टन प्रतिवर्ष की है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/09/2022 के माध्यम से ऑनलाईन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण माईनिंग के स्थान पर इण्डस्ट्रीज में आवेदन हो गया है। अतः प्रकरण को निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–बड़ेगुमदा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायगढ़

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी1 / 292096/2022, दिनांक 10/10/2022। मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–बड़ेगुमदा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायगढ़ को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह परियोजना ग्राम–बड़ेगुमदा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायगढ़ के कुल क्षेत्रफल 38 एकड़ क्षमता विस्तार के तहत् थर्मल पॉवर प्लांट (ए.एफ.बी.सी. आधारित) क्षमता–4 मेगावॉट से 8 मेगावॉट एवं थर्मल पॉवर प्लांट (डब्ल्यू.एच.आर. बी. आधारित) क्षमता–4 मेगावॉट से 8 मेगावॉट की है।

2. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11011/448/2007-IA II(I) दिनांक 13/05/2009 द्वारा कुल क्षेत्रफल 38 एकड़, थर्मल पॉवर प्लांट (ए.एफ.बी.सी. आधारित) क्षमता–4 मेगावॉट से 8 मेगावॉट एवं थर्मल पॉवर प्लांट (डब्लू.एच.आर.बी. आधारित) क्षमता–4 मेगावॉट से 8 मेगावॉट हेतु मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

3. मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने बाबत् मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के मध्य हुये विक्रय विलेख की प्रति प्रस्तुत की गई है।

6. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 2707/TS/CECB/2020 नया रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 02/07/2020 द्वारा स्पंज आयरन (2 गुणा 100 टन प्रतिदिन डीआरआई किल्न) क्षमता–60,000 टन प्रतिवर्ष, पॉवर प्लांट (एफ.बी.सी. आधारित) क्षमता–8 मेगावॉट एवं पॉवर प्लांट (डब्लू.एच.आर.बी. आधारित) क्षमता–4 मेगावॉट के लिए जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी की गई, जिसकी सम्मति नवीनीकरण दिनांक 08/12/2020 तक की अवधि हेतु वैध थी।

7. मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी बोर्ड ऑफ रिसोल्युशन की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी डॉयरेक्टरों की सूची प्रस्तुत की गई है।

9. मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पॉवर ऑफ एटॉर्नी की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि चूंकि इस परियोजना को पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। अतः मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–बढ़ेगुमदा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली से मार्गदर्शन मंगाये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-बड़ेमुनगा, तहसील-धरसींवा, जिला-रायगढ़ को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स राम स्टील एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर स्थानांतरित (Transfer) किये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली से मार्गदर्शन मंगाये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन में किये गये कार्यवाही की वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्थल का पूर्ण निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से प्राधिकरण को अवगत कराने हेतु श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ को सम्मिलित करते हुये चार सदस्यीय उपसमिति का गठन किया जाता है। चार सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये कलरयुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित बिन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः उपसमिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली तथा परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(आर.पी. तिवारी)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देवाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़